# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)</u>

प्रकरण संख्या– 12/2021 प्रार्थना पत्र                                        निर्णय दिनांकः–14.06.2021

शांतिलाल पिता शंकरलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी पीरखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।                                                          – प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता हजारी जाति भील आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. नारायण पिता जीतमल जाति टांक आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा फलवा प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 262 की आराजी नं0 1142/20 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा फलवा प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 262 की आराजी नं0 1142/20 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के  कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा